

आयालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 2.7.2020

मि.न 104/2020

सरकार बनाम मोहर सिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्याणपुरा कला ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.0020 है0 भूमि पर मोहरसिंह पुत्र चन्दा जाति गुर्जर ने मिट्टी की डोल बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल अनुपस्थित । नाही कोई जबाब दस्तावेज पेश किये गये जिनके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम कुहाड़ा के खसरा नंबर 15/0.13 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण सिद्ध होता है । अतः आतिक्रमि के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैरसायल रामोतार पुत्र माडूराम जाति गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 15/0.13 है0 किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता में 0.0020 है0 भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.012रु. का पचास गुणा 1 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 2.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)